न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 63/2020
GCMS No. : 2019/00177

–:: वादी ::–
1. पूसाराम पुत्र हापूराम
2. सुगनाराम पुत्र हापूराम
जातियान– कुमावत, निवासीगण– ग्राम खेड़ा महाराजपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–
1. तहसीलदार जैतारण, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.02/09/2020

उपस्थितः–
1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकार पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 21/06/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई तहसील जैतारण में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1499 रकबा 14.07 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी के वादीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी में वादीगण के पिता हापूराम जी के फौत होने के बाद जो फौतेदगी म्युटेशन संख्या 630 पारित किया गया था। उस समय तत्कालीन आर आई पटवारी ने वादीगण के सही नाम बाबत बिना जांच किये ही वादीगण का उगरा, बाबू पिसरान हापू नाम का इन्द्राज कर दिया था। जो कतई एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादीगण का सही नाम पुसाराम, सुगनाराम पिसरान हापूराम जी है। नकल म्युटेशन वादपत्र के साथ पेश है। वादीगण मूलतः ग्राम खेड़ा महाराजपुरा के रहने वाले है जहां पर इनकी पैतृक पुश्तैनी आराजी आई हुई है। जिसमें वादीगण का सही नाम पुसाराम, सुगनाराम पिसरान हापूराम जी का इन्द्राज हो रखा है। परन्तु सरहद मौजा आसरलाई में जो इनकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति है उसमें फौतेदगी म्युटेशन संख्या 630 पारित करते समय गलत नाम का इन्द्राज कर दिया गया है। जबकि इनकी ग्राम खेड़ा महाराजपुरा में स्थिति आराजी में इनके पिता के फौत होने के जो फौतेदगी म्युटेशन संख्या 100 में इनके नाम का सही इन्द्राज है। नकल म्युटेशन संख्या 100 वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादीगण का ग्राम आसरलाई में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1499 में गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

नाम इन्द्राज हो जाने से वादीगण को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें वादीगण को ऋण लेने, कृषि कनेक्शन लेने व अन्य सरकारी फायदों को लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकी वादीगण के परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि सरकारी दस्तावेजात में वादीगण का सही नाम पूसाराम पुत्र हापूराम जी व सुगनाराम पुत्र हापूराम जी नाम का इन्द्राज हो रखा है। परन्तु खसरा नम्बर 1499 की आराजी में गलत नाम उगरा, बाबू, पिसरान हापूराम इन्द्राज है जिसे दुरूस्त कर वादीगण के सही नामों की एन्ट्री की जाने के लिये यह वादपत्र बाबत् घोषणा का बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड देखने एवं प्राप्त करनें पर उन्हें जानकारी हुई कि सरहद मौजा आसरलाई में स्थित खसरा नम्बर 1499 में उनके नाम का गलत इन्द्राज हो रखा है तब वादीगण ने दिनांक 05.08.2020 का प्रतिवादी को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया एवं नाम दुरूस्त करनें का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा साफ इन्कार हो जाने एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करनें का कहने से यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। सरहद मौज आसरलाई में स्थित खसरा नम्बर 1499 में और भी सह हिस्सेदार है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 05.08.2020 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त कर प्रतिवादी को वादीगण द्वारा नाम दुरूस्ती का निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट इन्कार होने से बमुकाम आसरलाई व जैतारण में पैदा हुआ है। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश की, जो सा.मि. है। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय वस्तु स्थिति रिपोर्ट में कथन किया कि वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है, क्योकि ग्राम आसरलाई में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1499 रकबा 02.3299 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल पाबू पुत्र पन्ना 1/4, सादुल पुत्र पन्ना 1/4, बाबू पुत्र हापू 1/4, उगरा पुत्र हापू 1/4 कौम कुम्हार सा0 खेड़ामहाराज पुरा खातेदार के नाम दर्ज है। वादपत्र के पद संख्या दो में वर्णित तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है क्योकिं नामान्तरण संख्या 630 विरासत द्वारा हापू पुत्र पन्ना के स्थान पर उगरा, बाबू पिसरान हापू दर्ज हुआ जो बाद जांच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत हुआ जो सही है। वादपत्र के पद संख्या तीन में वर्णित तथ्यों का जवाब है कि नामान्तरण संख्या 630 विरासत द्वारा हापू पुत्र पन्ना के स्थान पर उगरा, बाबू पि0 हापू दर्ज हुआ है जो सही है शेष तथ्य वादी स्वयं साबित करें। वादपत्र के पद संख्या चार में वर्णित तथ्यों का जवाब है कि खसरा नम्बर 1499 [illegible]न्तरण संख्या 630 विरासत द्वारा उगरा, बाबू पिसरान हापू दर्ज हुआ [illegible] शेष तथ्य सम्बन्धित नहीं होने से वादी स्वयं साबित करें। शेष पद [illegible] सम्बन्धित नहीं होने से वादीगण स्वयं साबित करें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवरण एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. वादपत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त काश्त की खातेदारी एवं कब्जे क्राश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या खसरा नम्बर 1499 रकबा 14–07 बीघा की कृषि भूमि में वादी बतौर खातेदार दर्ज है लेकिन भू अभिलेख में वादीगण का त्रुटिपूर्ण नाम उगरा, बाबू पुत्र हापू सहवन से दर्ज हो गया, जो वर्तमान में भी जारी है, वादीगण सही एवं वास्तविक नाम क्रमशः पुसाराम व सुगनाराम है। वादी के पिता हापूराम की मृत्यु उपरांत तत्कालिन राजस्व कार्मिकों द्वारा फौतदेगी नामान्तरण स्वीकृत करते समय वादीगण नाम सहवन से उगरा, बाबू पिसरान हापूराम दर्ज कर दिया। जिसे वादी शुद्ध करवानें का अधिकारी है।

2. वादीगण ने वादी की साक्ष्य में पृथक पृथक साक्ष्य शपथ पत्र क्रमशः PW-1 व PW-2 प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उनकी सहखातेदारी तथा पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें माफिक हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा हमारें पिताजी हापूराम जी के फौत के पश्चात नामान्तरण संख्या 630 भरा गया, उसमें वादीगण का नाम उगरा, बाबू पिसरान हापू दर्ज कर दिया जबकि सभी समस्त सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजातों में वादीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमशः पुसाराम व सुगनाराम है, जो सही व सत्य है। अतः इस नाम से वादीगण के पक्ष में डिक्री व नाम शुद्धिकरण कर दिया जावें।

3. प्रदर्श–1 ग्राम आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक तहसील जैतारण की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में उगरा, बाबू पिसरान हापू कौम कुमार सा. खेड़ा महाराजपुरा खातेदार बतौर खातेदार अंकित है। प्रदर्श–2 नामान्तरण संख्या 630 ग्राम आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक तहसील जैतारण की नामान्तरण पंजिका के कॉलम संख्या 11 में उगरा, बाबू पि0 हापू कौम कुमार सा. खेड़ा महाराजपुरा अंकित है तथा प्रदर्श–3 नामान्तरण संख्या 100 ग्राम आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक तहसील जैतारण की नामान्तरण पंजिका के कॉलम संख्या 11 में पुसीया, सुगना पि0 हापू कौम कुमार सा. खेड़ा महाराजपुरा अंकित है। प्रदर्श–4 ग्राम खेड़ा महाराजपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035–2038 में पाबूराम, सादूलराम, हापूराम पि0 पन्ना कुम्हार सा0 देह खातेदार तथा नोट में पुसीया, सुगना पि0 हापू दर्ज है। प्रदर्श–5 ग्राम खेड़ामहाराजपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039–2042 में वादीगण के अन्य खसरान् में पुसीया, सुगना पि0 हापू कौम–कुम्हार सा0 देह खातेदार। प्रदर्श–6ए व प्रदर्श–8ए वादीगण का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श–7ए वादी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श–9ए वादी सुगनाराम का आधार कार्ड तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात् में वादीगण का नाम पुसाराम पुत्र हापूराम व सुगनाराम पुत्र हापूराम अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि उपलब्ध दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी से यह स्पष्ट होता हैं कि वादग्रस्त आराजी में बतौर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

खातेदार दर्ज उगरा, बाबू पिसरान हापूराम तथा पुसाराम, सुगनाराम पिसरान हापूराम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है तथा खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम उगरा, बाबू पिसरान हापूराम न होकर पुसाराम, सुगनाराम पिसरान हापूराम है। प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 1499 रकबा 14.07 बीघा(2.3229 हैक्टेयर) किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"उगरा, बाबू पिसरान हापूराम"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम ***"पुसाराम पुत्र हापूराम" व "सुगनाराम पुत्र हापूराम"*** दर्ज करते हुये वादीगण को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/02/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 63/2020
GCMS No. : 2020/00177

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. पूसाराम पुत्र हापूराम 2. सुगनाराम पुत्र हापूराम जातियान– कुमावत, निवासीगण–ग्राम खेड़ा महाराजपुरा, तहसील–जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. तहसीलदार जैतारण, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :– रा0वा0स0: 63/2020
निर्णय व डिक्री दिनांक :– 21.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सरकारी पैरोकार राज, तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आसरलाई पटवार हल्का आसरलाई भू अभिलेख निरीक्षक निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 1499 रकबा 14.07 बीघा(2.3229 हैक्टेयर) किस्म बारानी अव्वल में बतौर खातेदार दर्ज वादीगण के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***''उगरा, बाबू पिसरान हापूराम''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम ***''पुसाराम पुत्र हापूराम'' व ''सुगनाराम पुत्र हापूराम''*** दर्ज करते हुये वादीगण को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी का खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21/02/2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०२	००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०५	००	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०२	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	१०	००	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:47:52 IST
Reason: SelfAttested